

तारीख हुक्म	<p>पञ्चवली पेश हूँ अशकाम् आधीवमा उप प्राथमिक कचवाय एव. निर्णय के साथ तहसी तहसीलदार को सिखाया जावे इन्तजार के कचवाय रिपोर्ट 6-9-22 को चेक हो</p>
20-7-22	<p>पञ्चवली पेश हूँ अशकाम् उपस्थित इन्तजार प्राथमिक कचवाय रिपोर्ट नकर पञ्चवली 18-10-22 को चेक हो</p>
6-9-22	<p>पञ्चवली पेश हूँ बाकी आधीवमा उपस्थित तहसीलदार की रिपोर्ट जाह डोगल खासिक पञ्चवली की गई। पञ्चवली वाले खासिक कार्यवाही पञ्चवली 19-10-22 को चेक हो।</p>
18-10-22	<p>पञ्चवली पेश हूँ वादी के आधीवमा ने प्राथमिक पत्र पेश किया कि वाड वारिह आराजी सम्पूर्ण कृषि मूर्ध्म भारतमावा सड्ड परियोजना में अस्थाप की जा चुकी है। वाद-पत्र के आधीवमा निर्णय अनुसार आधीवमा डिक्री जारी कर दी जावे। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार गाम लोखेरी स्थित वाद शस्त आराजी ख. सं. 531 रुक 0.62 हेक्टर सम्पूर्ण मूर्ध्म भारतमावा परियोजना अन्तर्ग अस्थाप हो चुकी है। ईन्हे पर सम्पूर्ण खसरे पर सड्ड निर्माण हेतु मिट्टी डाल की गई। ऐसे में उक्त मूर्ध्म आराजी ख. सं. 531 का मूर्ध्म पर कचवाय नही किया जा सका है। वादी आधीवमा ने भी यह स्वीकार</p>

137

किया है। कि आशजी का भौतिक रूप से  
विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि  
सम्पूर्ण भूमि रक्षा का अवार्ण के कारण  
अव्यवहारे है। इस लिए पत्रावली में किये  
गये उद्घोषणा के सम्बन्ध में किये गये  
निर्णय के आधार पर ही अन्तिम डिमी  
कार ही जावे। प्रार्थनाशीलता साथ ही उक्त  
जम्मा से किये गथा है।

अतः वाद को स्वीकार कर पूर्व में  
दिये गये स्वादेकार आर्षकार घेषणा सम्बन्धी  
अनुतोष के आधार पर अन्तिम डिमी जारी  
जारी की जाती है। अन्तिम डिमी शर्त  
की गई पत्रावली केसल शुगर होकर  
वाद तकमील दारिदर दपतर है।

उ.

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी जिला बून्दी

**F D. डिगरी ब मुकदमें इबतदाई**  
(O 20, Rr 6,7)

**(civil Procedure Code, Appendix D)**

अज अदालत उपरवाट आधी जरी मुकाम लाखेरी  
व इजलास श्री युगान्तर शर्मा P.A.S.

1. वाहीद चूर पुत्र अहमद चूर जावे बनाम 1. इकबाल चूर पुत्र अहमद चूर  
मुसलमान निवासी गरमपुरा 2. इजरायल वादो वाली अब अहमद वादी  
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बुन्दी 3. इसेव पुत्र अबदुल इमीद जातिमान मुसलमान  
(वादी) 4. निवासी गण गरमपुरा तहसील इन्द्रगढ़ बुन्दी  
 5. राज्य सरकार जे तहसीलदार इन्द्रगढ़ बुन्दी  
 दावा बाबत 88,891 पानी  
 सन जतिमान

मुकदमा नम्बर 21/दावा/2021 व हाजिरी  
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु छाये  
श्री अबदुल इमरान इन्द्रगढ़ मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि  
वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ में  
स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 531 रुकबा 0.62 एकर में वादी को 1/3 हिस्से का  
तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी का 2 व 3 को सयुक्त रूप से  
1/3 हिस्से का खोलेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट के  
आधार पर उक्त समस्त भूमि भारतवादा रांड में अवाप्त व जाने से उत्थापक  
बटवारे की आवश्यकता नहीं है।

निज मुबलिंग बाबत खर्चा इन  
 मुकदमें के मय सूद बशरह का अदा करें। फीसदी सालाना आज की तारीख  
 से तारीख अदायगी तक 19-10-2022 माह  
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-10-2022  
 सन को जारी की गई।

मुहर	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
मुद्दई			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
1. स्टाम्प अर्जीदावा			2. स्टाम्प अर्जी		
2. स्टाम्प वकालतनामा			3. महन्ताना वकील		
3. स्टाम्प वजह सबूत			4. खर्चा गवाहोंन		
4. महन्ताना वकील			5. फीस कमिश्नर		
5. खर्चा गवाहोंन			6. बाबत इजराय हुकमनामा		
6. फीस कमिश्नर			7. मुत्ताफरिक		
7. बाबत इजराय हुकमनामा			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।